मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण

योजना का स्वरूप

योजना के तहत विपतितग्रस्त, पीडित, कठिन परिसिथतियों मेे निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक सामाजिक उन्नयन हेतु स्थायी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। यह प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं के माध्यम से दिया जायेगा जिन संस्थाओं व्दारा जारी डीग्रीप्रमाण पत्र शासकीयअशासकीय सेवाओं मे मान्य हो। प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय जिसमें प्रशिक्षण शुल्क, आवासीय व्यवस्था शुल्क, भोजन एवं शिष्यवृतित शामिल रहेगी। ऐसी महिलाओं का चयन जिला स्तर पर गठित समिति व्दारा किया जायेगा। योजना जिला स्तर से संचालित होगी। प्रत्येक जिला आवश्यकता का आंकलन कर भौतिक एवं वित्तीय वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करेगा। जिला योजना समिति के माध्यम से बजट प्रावधानित किया जायेगा। प्रशिक्षण राशि का भुगतान सीधे सेवा प्रदाता संस्था को होेगा।

उददेश्य

1. आपात सिथति में महिलाओं की सहायता करना।
2. पीडित महिला को पुर्नस्थापित करना।
3. महिलाओं को स्व-रोजगार के लिये प्रेरित करना।
4. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना।
5. महिला का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिणिक स्तर बढाना।
6. विपतितग्रस्तपीडितअसहायनिराश्रित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए समाज की मुख्य धारा में पुर्नस्थापित करना।
7. योजना का प्रचार-प्रसार एवं डाक्यूमेनटेषन

लक्ष्य समूह:-

1. बलात्कार से पीडित महिला बालिका ।
2. दुर्व्यापार से बचाई गई महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हों।
3. ऐसिड विकिटम ।
4. जेल से रिहा महिलाऐं।
5. परित्यक्तातलाकशुदा महिलाऐं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हों।
6. शासकीय एवं अषासकीय आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृृह आदि गृहों में निवासरत विपतित ग्रस्त बालिका महिलाऐं।
7. दहेज प्रताडित अगिन पीडित महिलाऐं।

पात्रता:-

व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार महिलाएं पात्र होगी :-

1. हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीडित ;टपबजपउद्ध की श्रेणी में आती हो।
2. लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है।
3. मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो।
4. सामान्य महिला की उम 45 वर्ष से कम हो। विधवा, परितक्यता, तलाकशुदा, एससी,एसटी, पिछडावर्ग की महिला होने की सिथति में 50 वर्ष
5. प्रशिक्षण पाठयक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी।
6. कम पढ़ी लिखीसाक्षरअनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेगें।

पात्रता श्रेणी निम्नानुसार प्रतिस्थापित की गई है -

"लक्ष्य समूह अनुसार आवेदिका उसके परिवार का मुखिया गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो, परन्तु दहेज पी़डित अगिन पी़डित, बलात्कार एवं एसिड विकिटम, जेल से रिहा महिला, नारी निकेतन, शार्ट स्टे होम, शासकीयविभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह, आदि में रहने वाली महिलाओं को इससे छूट रहेगी।

प्रशिक्षण के विषय

1. फार्मेसी
2. नर्सिंग
3. फिजियोथेरपी
4. आयादाईवार्ड परिचर
5. ब्यूटीशियन
6. शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंगबैकिंग)
7. आई.टी.आई पालीटेकिनक पाठयक्रम
8. हासिपटालिटी
9. होटल ईवेन्ट मेनेेजमेंट
10 प्रयोगशाला सहायक
11. बी.एड.डी.एड. (सिर्फ शासकीय संस्थानों से)
12. अन्य प्रषिक्षण जो कि षासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते है।

चयन प्रक्रिया

महिला व्दारा आवेदन जिला महिला सशकितकरण अधिकारी के कार्यालय में डाक या स्वयं उपसिथत हो कर प्रस्तुत किया जायेगा अथवा संचालनालय की वेबसाईट पर आनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार गठित चयन समिति 15 दिवस के अन्दर चयन की कार्यवाही करेगी।

• कलेक्टर या नामित अधिकारी अध्यक्ष
• पुलिस अधीक्षक, सदस्य
• प्राचार्य पालिटेकिनक आई टी आई, सदस्य
• महाप्रबंधक जिला उधोग एवं व्यापार , सदस्य
• मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीसिविल सर्जन सदस्य
• जिला महिला सशकितकरण अधिकारी, सदस्य सचिव सदस्य

प्रशिक्षण संस्था का चयन

प्रशिक्षण के लिये प्राथमिकता के आधार पर शासकीय संस्थान का चयन किया जाये। यथासंभव प्रशिक्षण शासकीय आई.टी.आई. महिला पोलिटेकिनक में दिलाया जायें। उक्त शासकीय संस्थाओं के उपलब्ध न होने की सिथति में शासन से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। यह संस्थाऐं एनसीवीटी से पंजीकृत भी हो सकती है। अर्थात प्रशिक्षण संस्थाओ द्वारा जारी किये गये डिग्रीप्रमाणपत्र शासकीयअशासकीय सेवाओं में मान्य हों। अशासकीय प्रशिक्षण संस्थाओं का यह भी दायित्व होगा की प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करायें, इस बात का उल्लेख संस्था एवं जिला महिला सषकितकरण अधिकारी के मध्य होने वाले अनुबन्ध में होगा। ऐसी चयनित अशासकीय संस्थाओं में यह परीक्षण कर लिया जायें कि उनके व्दारा पूर्व में दिये गये प्रशिक्षण में कितने हितग्राहियों को कहा-कहा रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रशिक्षण संस्थान के चयन के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र जिला महिला सशकितकरण अधिकारी बजट मांग के समय उपलब्ध करायेगें।

हितग्राहियों का चयन

हितग्राहियों के चयन हेतु प्रत्येक जिला 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य समाचार पत्रों में विज्ञापन दे कर आवेदन आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र प्राप्त करने की सीमा दो माह होगी । प्राप्त आवेदन का परीक्षण उपरान्त चयन समिति की बैठक एक माह के अंदर आयोजित कर हितग्राहियों व संस्था का चयन सूक्ष्मता से किया जाना सुनिशिचत करना होगा । प्रत्येक चयनित लाभार्थी की विस्तृत "चतवपिसम का संधारण करना होगा। निर्धारित मापदंड अनुसार चयनित हितग्राहियों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र संबंधित जिला महिला सशकितकरण अधिकारी बजट मांग के समय प्रस्तुत करेगें।
चयनित हितग्राही के प्रशिक्षण विषय के अनुसार निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क जैसे होस्टल, भोजन आदि की जानकारी संबंधित संस्था से प्राप्तकर का विवरण भी तैयार कर प्रस्तुत किया जावेगा ताकि वर्ष में व्यय होने वाली राशि का आंकलन हो सके।

संस्था को प्रषिक्षण षुल्क का भुगतान

संस्था को प्रवेश शुल्क एवं मासिक त्रैमासिक शुल्क का भुगतान किया जायेगा। षुल्क का भुगतान किष्तों में किया जावेगा। अल्प अवधि में हितग्राही के ड्रापआऊट होने की सिथति में संस्था को षुल्क वापस करना होगा। प्रषिक्षण षुल्क की अंतिम किष्त की भुगतान हितग्राही के सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त पर दिया जावेगा। किसी भी तरह का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा। यदि कोर्स आवासीय है तो भोजन एवं आवास हेतु संस्था को भुगतान किया जावेगा ।

योजना का प्रचार प्रसार

जिले में योजना का पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाये।

मूल्याकंन एवं निगरानी

जिलास्तर

जिला स्तर पर प्रत्येक हितग्राही का केस फाईल तैयार किया जाएगा इस केस फाईल में संबंधित का पूर्ण विवरण होगा। जिला महिला सशकितकरण अधिकारी संबंधित हितग्राही के प्रशिक्षण के संबंध में सेवा प्रदाता संस्था से सतत संपर्क में रहेगा। सेवा प्रदाता संस्था हितग्राही की मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला महिला सशकितकरण अधिकारी को भेजेगी। जिला कलेक्टर प्रत्येक हितग्राही की प्रगति एवं पुर्नवास की मासिक समीक्षा करेगा । जिला महिला सशकितकरण अधिकारी प्रत्येक हितग्राही की व्यकितगत जानकारी संचालनालय की वेबसाइट पर प्रतिमाह अपलोड करेगा।

संभागस्तर

संभागीय संयुक्त संचालकसंभागीय उप संचालक (म.स.) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षानिगरानी करेगें एवं संचालनालय महिला सशकितकरण को प्रतिवेदन भेजेगें ।

राज्यस्तर

राज्य स्तर पर योजना का संचालन महिला भवन द्वारा किया जावेगा। महिला भवन के प्रभारी अधिकारी एक साफ्टवेयर तैयार करेंगें। इस साफ्टवेयर पर प्रत्येक जिले द्वारा आनलाइन प्रविषिट की जायेगी। महिला भवन के प्रभारी अधिकारी प्रतिमाह समीक्षा बैठक में योजना की प्रगति के संबंध में प्रस्तुतीकरण करेगें, योजना में आने वाली कठिनाईयों को दूर करेगें एवं समय पर जिलो को बजट जारी करेगें।

फालोअप

प्रत्येक हितग्राही का जिलास्तर पर तब तक फालोअप किया जाएगा जब तक कि उसे रोजगार नही मिल जाता है और उसका पुर्नवास नही हो जाता है।